IN THE HON'BLE COURT OF SPECIAL JUDGE,

(SATI NIWARAN), JAIPUR

IN THE MATTER OF

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
7TH FLOOR, MAYUR BHAWAN, SHANKAR MARKET,
CONNAUGHT CIRCUS,
NEW DELHI -110001

Through
NAME: Umesh Kumar Sharma
S/O Sh. D.P. Sharma
DATE OF BIRTH/ AGE: 58 Years
DESIGNATION: Chief General Manager
7th Floor, Mayur Bhawan, Shankar Market,
Connaught Circus,
New Delhi -110001

.......................COMPLAINANT

VS

SH. HARENDRA SINGH RATHORE & ORS

.......................ACCUSED

मुख्य ... लिपिक
प्रतिलिपि शाखा (फौजदारी)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

Scanned by CamScanner

06.02.2019 परिवादी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से अधिवक्ता श्री आशुतोष दुबे उपस्थित, जिनके द्वारा यह परिवाद दिनांक 09.10.2018 को पेश किया गया था। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने के पश्चात परिवाद दिनांक 17.12.2018 को बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि परिवाद एक लोक सेवक, चीफ जनरल मैनेजर की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री आशुतोष दुबे पेश किया गया था, इसलिये लोक सेवक होने के नाते चीफ जनरल मैनेजर के धारा 200 दं० प्र० सं० के तहत बयान लेखबद्ध नहीं किये जाकर तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, की धारा 236(4) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अभिमुक्ति प्रदान करते हुए पत्रावली में बहस प्रसंज्ञान विगत पेशी पर सुनी गई थी एवं आज प्रसंज्ञान आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार परिवादी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से अभियुक्तगण हरेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिंह राठौड, दीपेन्द्र सिंह राठौड व मोहन कंवर के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 190, 193 व 200 सपठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 236 के अन्तर्गत एक परिवाद इस आशय के तथ्यों का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वैबसाइट पर रखे गये डाटा के अनुसार मैसर्स होटल गोदावन प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे कारपोरेट ऋणी के नाम से संबोधित किया जावेगा) के तत्कालीन निदेशक है। कम्पनी के मास्टर डाटा की प्रति संलग्न है। उक्त परिवाद में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(60) के अनुसार व्यतिक्रमी अधिकारी क्रम-1 लगायत 4 हरेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिंह राठौड, दीपेन्द्र सिंह राठौड व मोहन कंवर है। परिवादी एक वैधानिक निकाय है (जिसे आगे बोर्ड से संबोधित किया जावेगा) और उसका कार्य संहिता के उद्देश्यों का संबंध, अन्य बातों के साथ साथ कारपोरेट व्यक्तियों भागीदारी फर्मो और व्यक्तियों का एक समयबद्ध रीति से ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के अधिकतम मूल्य के लिये पुनर्गठन और दिवाला समाधान करने तथा उद्यमशीलता, सेवा ... धारकों को ऋण उपलब्ध कराने और उनके हितों का संतुलन बनाये रखने से है। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली की प्रधान न्यायपीठ के तारीख 31 मार्च 2017 के आदेश द्वारा कारपोरेट ऋणी के विरूद्ध संहिता की धारा

6/2/19

न्यायाधीश
विशेष न्यायालय (सी.बी.आई.-...)
... , जयपुर एवं अजमेर

सत्य प्रतिलिपि
(जजेज)
मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा (जजेज)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

7 के अधीन एक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ की गई जिसमें अरूणाय सिकंदर को कारपोरेट ऋणी के अंतरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात कारपोरेट ऋणी के कामकाज का प्रबन्धन दिवाला व्यावसायिक में निहित हो गया और कारपोरेट ऋणी के निदेशक बोर्ड की शक्तियां निलंबित हो गई और उनका [illegible] [illegible], अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा किया [illegible]। इस प्रकार कारपोरेट ऋणी के सभी अधिकारी और प्रबंधन विधिक रूप से दिवाला समाधान से आबद्ध है। कारपोरेट ऋणी के तत्कालीन निदेशकों(अभियुक्तगण) ने सीआईआरपी के अनुक्रम में संहिता के अध्याय 7 के भाग 2 में यथा उपबंधित निम्न अपराध कारित किये — (1) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अनुक्रम में अपराध (संहिता की धारा 70), (2) धारा 14 के अधीन अधिस्थगन काल का उल्लंघन (संहिता की धारा 74(1)), (3) समाधान योजना का उल्लंघन संहिता की धारा 74(3)। उक्त अपराधों के अनुसार अभियुक्तों को तुरन्त वाहनों का कब्जा सौंप देने और दिवाला व्यावसायिक द्वारा सौंपे वाहनों को अभिरक्षा में लेने का निर्देश दिया गया किन्तु कारपोरेट ऋणी द्वारा एक वाहन लौटा दिया गया व दो वाहन अब भी प्रतिधारित किये हुये है और समाधान व्यावसायिक को परिदत्त नहीं किये है। साथ ही अभियुक्तो माननीय अधिकरण द्वारा अधिस्थगन आदेश होने के बावजूद भी बैठक का संचालन किया और उसके बाद एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की। अभियुक्त ने माननीय अधिकरण के समक्ष आदेश दिनांक 31-5-2017 वापस मंगाने हेतु आवेदन फाइल किया जो 29-6-2017 को खारिज कर दिया। अभियुक्तगण आवेदन फाईल करते रहे और अधिस्थगन काल के विधि की दृष्टि से अस्तित्व में न रहने के पश्चात माध्यस्थम आरम्भ किया गया और अभियुक्तों ने कारपोरेट ऋणी के विरूद्ध माध्यस्थम कार्यवाहियां संस्थित करके जानते हुए और जानबूझकर संहिता की धारा 14 के उपबन्धों का उल्लंघन कारित और अनुज्ञात किया तथा अभियुक्त सं. 1 ने वर्तमान निदेशक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न [illegible] को भ्रामक सूचनाएं जारी की और दस्तावेजों को [illegible] [illegible] हुए कारपोरेट ऋणी के खातों में से धनराशि निकाली तथा अभियुक्तों ने जानते हुए एवं जानबूझकर समाधान [illegible] के निबंधनों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 70, 74(1) व 74(3) के अधीन [illegible]

T/4/19

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा (जजेज)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

Scanned by CamScanner

लेने व उक्त अपराधो के अधीन दण्डित करने का निवेदन किया।

मैंने परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आथोराईजेशन लेटर कम्पनी मास्टर डाटा होटल गोधावन प्राईवेट लिमिटेड, माननीय प्रिंसिपल बेंच नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण उन्नवानी अलकेमिस्ट असेट रिकन्स्ट्रंक्शन बनाम मैसर्स होटल गोधावन प्राइवेट लि0 में पारित आदेश दिनांक 31-3-2017, होटल गोधावन प्राईवेट लि0 की ओर से श्री पंकज गर्ग एडवोकेट को सोल आरबीट्रेटर की नियुक्ति के विवाद व अंतर के संबंध में प्रेषित पत्र, होटल गोधावन की बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मिटिंग दिनांक 3-5-2017, श्री पंकज गर्ग की ओर से मैसर्स होटल गोधावन प्राईवेट लिमिटेड को जारी सूचनापत्र दिनांक 22-5-2017, माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, न्यू देहली द्वारा जारी आदेश 29-6-2017, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, राजस्थान के समक्ष स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ओर से मैसर्स होटल गोधावन प्राईवेट लिमिटेड व अन्य के विरूद्ध याचिका तथा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त नोटिफिकेशन दिनांक 1-9-2016 के द्वारा इस न्यायालय को कम्पनी एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया जाना स्पष्ट है अतः हस्तगत परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होना पाया जाता है। साथ ही उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से भी प्रथम दृष्ट्या परिवादी द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है और यही प्रकट होता है कि कारपोरेट ऋणी के तत्कालीन निदेशकों (अभियुक्तगण) ने सीआईआरपी के अनुक्रम में संहिता के अध्याय 7 के भाग 2 में यथा उपबंधित अपराध कारित किये जो कि (1) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अनुक्रम में अवचार (संहिता की धारा 70), (2) धारा 14 के अधीन अधिस्थगन काल का उल्लंघन (संहिता की धारा 74(1)), (3) समाधान योजना का उल्लंघन संहिता की धारा 74(3) के अन्तर्गत है तथा उक्त अपराधों के अनुसार अभियुक्तो को तुरन्त वाहनों का कब्जा सौंप देने और दिवाला व्यावसायिक द्वारा तीनों वाहनों को अभिरक्षा में लेने का निर्देश दिया गया किन्तु कारपोरेट ऋणी द्वारा एक वाहन लौटा दिया गया और दो वाहन अब भी प्रतिधारित किये हुये है और समाधान व्यावसायिक को परिदत्त नहीं किये है। साथ ही अभियुक्तों ने माननीय अधिकरण द्वारा अधिस्थगन आदेश होने के

6/7/19
न्यायाधीश
विशेष न्यायालय (सती निवारण), जयपुर एवं अपर ... जयपुर

प्रतिलिपिकार ... (अंग्रेज)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

Scanned by CamScanner

[illegible]

[illegible] की बैठक [illegible] किया और [illegible] मध्यस्थ की नियुक्ति की। अभियुक्तगण ने माननीय अधिकरण के समक्ष आदेश दिनांक 31-5-2017 वापस मंगाने हेतु आवेदन फाइल किया जो भी 29-6-2017 को खारिज कर दिया। अभियुक्तगण [illegible] फाईल करते रहे और [illegible] [illegible] अभियुक्तों ने [illegible] करते हुए और [illegible] संहिता की धारा [illegible] का उल्लंघन कारित और अनुज्ञात किया तथा अभियुक्त [illegible] निदेशक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए [illegible] [illegible] [illegible] सिंह ने तथा अभियुक्तों ने जानते हुए एवं जानबूझकर समाधान योजना के निबंधनों का उल्लंघन किया है। उक्त अपराधों के संबंध में पोस्टुरा तथ्य परिवादी ने अपने परिवाद में भी उल्लेखित किये है। इसी में उपरोक्त समस्त विवेचन एवं परिवाद के साथ प्रस्तुत [illegible] दस्तावेजात के आधार पर मेरी राय में निम्न अभियुक्तगण :-

1. [illegible] सिंह राठौड़, डी-9, पश्चिम विहार, वैशाली नगर, जयपुर एवं सी 21 [illegible] वैशाली नगर, जयपुर।
2. लोकेन्द्र सिंह राठौड़, डी-9, पश्चिम विहार, वैशाली नगर, जयपुर।
3. दीपेन्द्र सिंह राठौड़, डी-9, पश्चिम विहार, वैशाली नगर, जयपुर।
4. मोहन कंवर, डी-9, पश्चिम विहार, वैशाली नगर, जयपुर।

के विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 70, 74(1) व 74(3) के अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त तथ्य, अभिवचन आधार अभिलेख पर है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण [illegible] सिंह राठौड़, लोकेन्द्र सिंह राठौड़, दीपेन्द्र सिंह राठौड़ व मोहन कंवर के विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता [illegible] 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code 2016) की धारा 70, 74(1) व 74(3) के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाता है। आपराधिक प्रकरण दर्ज हो।

[illegible] धारा 204 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की पालना होने पर [illegible]

[illegible] (जजेज) जिला [illegible]

6/4/17

[illegible]

संशन न्यायालय, जयपुर

मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि [illegible] (जजेज)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर

Scanned by CamScanner

5

एवं अभियुक्तगण को जरिये जमानती वारण्ट तादादी 1000/- रूपये तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी अभियुक्तगण दिनांक 05-03-19 को पेश हो।

7/2/19

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
विशिष्ट न्यायाधीश(सती निवारण)
एवं अपर सैशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर

D.N.
204/8.2.19
SHOPS-
वैशाली नगर,
जयपुर।

केन्द्रीय प्रतिलिपि शाखा (जजेज) जिला एवं सैशन न्यायालय
सत्यमेव जयते
जयपुर महानगर

मुख्य प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि शाखा (जजेज)
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर

प्रति—हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि
8/2/19
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा (जजेज)
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर

Scanned by CamScanner